


20/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची अस्थित।
वहल सूनी गयी। पत्रावली वाले आदेश
दि 23/06/25 को पेश हो।

शुक्र
सीक


20/6/25

23/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची अस्थित। वहल
एकपक्षीय के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर अपलक्ष्य
रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम गीतामिनगाँव
तहसील पिसावा की जमावड़ी संवत् (हाल) 2072-75
दिनांक 20/6/25, जमावड़ी संवत् 2072-75 दिनांक
31/5/2017, सार्वजनिक विक्रय पत्र दिनांक 09/06/2020
के प्राधिकरण के अधीन के अवलोकन अनुसार
07 सदस्योद्धारान से से 03 सदस्योद्धारान - चनासरे,
गीतावाड़ी व हरदूवाड़ी ने अपना 1/2-1/2 हिस्से कुल
3/2 हिस्से का वैधान प्राधिकरण के पक्ष में कर
करना सौंप दिया था लेकिन कोरोना महामारी के कारण
Lockdown जारी होने से वैधान इंतकाम तस्दीक
नहीं हो पाया था जिसका विविध रूप से अनुभव
पाया गया विक्रय गीतावाड़ी व हरदूवाड़ी ने दिनांक
21/09/2020 को बिना किसी एक व आधीकार के,
जमावड़ी से तस्दीकी रूप से नाम डर्ज होने मात्र

के आधारे पर अपने हिले 1/3-1/3 का हकपा
 कर दिया जो कि शरम से ही शून्य व
 अवैध होने से प्रथम हल्का खारिज योग्य है।
 मतः प्रकरण प्रथम हल्का (mimra fallie) एवं
 सुविधा का संतुलन होने प्राधिकरण के पक्ष में
 साबित होता है। प्राधिकरण के तारल व कल्प
 की शरमी का गल्प तरीके से अप्राप्त। से 4
 के पक्ष में हकपा न से का केवल प्राधिकरण
 के Khatedari rights का हनन हुआ है वकि
 कानूनी rights का भी हनन हुआ है जिससे प्राधिकरण
 को अपूरणीय क्षति कारित हुई है।

मतः प्राधिकरण का प्रा० का लीका
 किया जाकर अप्राधिकरण एवं SRO पिडावा को
 नार्दलमाभूमवा। इस माशप कि अस्थाई निवेदा
 से पावंड किया जाता है कि के ग्राम मोरीमिन
 ठाँप तहसील पिडावा की वासग्रह शरामी खाल
 स० 76 किता 2 खका 0.6196 हेर का कही
 रहन, बेंचान, डान काडि अतरा नही करे
 शील ना ही ऐसे बेंचान, डान, रहन काडि अतरा
 का फंजीशन करे। पत्रावली पैसलशुमाह होकर
 भूमवास के साथ संलग्न हो।



[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 पिसाव, जिला जहानाबाद (राज०)